न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ शेखावाटी, सीकर

पीठासीन अधिकारीः—श्री मूलचन्द लूणिया (आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्याः—03/20 निर्णय दिनांकः—03.09.2020

रणजीत सिंह पुत्र हरिसिंह पौत्र देवी सिंह जाति राजपूत निवासी वार्ड नंबर 8 रामगढ़ शेखावाटी जिला सीकर राजस्थान।

.....प्रार्थी

बनाम

1. संपत सिंह पुत्र हरिसिंह पौत्र बेगसिंह
2. पाना कंवर पुत्री हरिसिंह पौत्र बेगसिंह
3. रुकमणी कंवर पत्नी हरिसिंह पौत्र वधु बेगसिंह
4. अनिता पुत्री नन्दुसिंह
5. विक्रम सिंह पुत्र नन्दुसिंह
6. संतोष कंवर पत्नी नन्दुसिंह
7. कुलदीप सिंह पुत्र सीताराम
8. कृष्णा देवी पत्नी सीताराम
9. दलीप सिंह पुत्र सीताराम
10. मुकेश पुत्र सीताराम समस्त जाति राजपूत(कर्णावत) निवासीगण वार्ड नंबर 25 रामगढ़ शेखावाटी जिला सीकर राजस्थान।
11. गोरा देवी पत्नी नागरमल
12. नागर पुत्र डालु
13. पूर्णा पुत्र डालु
14. भगवानाराम पुत्र डालु समस्त जाति कुम्हार निवासीगण रामगढ़ शेखावाटी
15. विमला पत्नी देवकरण जाति जाट निवासी थेलासर तहसील व जिला चूरू
16. तहसीलदार तहसील रामगढ़ शेखावाटी।

.....प्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत संशोधन खाता अंतर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट

—:निर्णयः—

उपस्थिति अधिवक्ताः—श्री ओमप्रकाश शीला

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि पैतृक कृषि भूमियां कस्बा रामगढ़ पटवार हल्का रामगढ़ शेखावाटी में अवस्थित खसरा नंबर 20 रकबा 9.54 हेक्टेयर जिसमें प्रार्थी के पिता का नाम से हिस्सा 74/477 अर्थात रकबा 1.4799 हैक्टेयर जो पूर्व में प्रार्थी के पिता के नाम से दर्ज थी जिस पर प्रार्थी का वर्तमान में मौके पर कब्जा कास्त है।

कृषि भूमि खसरा नंबर 20 रकबा 9.54 हेक्टेयर की खातेदारी की राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के पिता का नाम दर्ज था तथा प्रार्थी के पिता की मृत्यु के पश्चात प्रार्थी विरासत का नामांतरण हेतु तहसील कार्यालय में आकर अपने पिता के नाम कृषि भूमि खेत खसरा नंबर 20 की जमाबंदी निकलवाने पर पता चला कि खेत खसरा नंबर की भूमि अन्य खातेदार के नाम दर्ज है जिस पर प्रार्थी ने राजस्व अधिकारियों से संपर्क किया एवं उक्त खसरा की भूमि से संबंधित दस्तावेज निकलवाने पर पता चला कि प्रार्थी के पिता के नाम की कृषि भूमि खेत खसरा नंबर 20 रकबा 9.54 हेक्टेयर में से हिस्सा 74/477 अर्थात रकबा 1.4799 हेक्टेयर हिस्सा अन्य खातेदार संपत सिंह पुत्र

(मूलचन्द लूणिया)
उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ शेखावाटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Moolchand Luniya
Date: 2020.12.28 17:17:54 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

हरी सिंह शेखावत हिस्सा 74/2385 पाना कवर पुत्री हरि सिंह शेखावत हिस्सा 74/2385 रुकमणी कंवर पत्नी हरि सिंह शेखावत हिस्सा 74/2385 अनीता पुत्री नंदू सिंह हिस्सा 74/7155 विक्रम सिंह पुत्र नंदू सिंह हिस्सा 74/7155 संतोष कंवर पत्नी नंदू सिंह हिस्सा 74/7155 कुलदीप सिंह पुत्र सीताराम हिस्सा 37/4770 कृष्णा देवी पत्नी सीता राम हिस्सा 37/4770 दलीप सिंह पुत्र सीताराम हिस्सा 37/4770 मुकेश पुत्र सीताराम हिस्सा 37/4770 के नाम सवहन से दर्ज हो गई।

कृषि भूमि खेत खसरा नंबर 20 रकबा 9.54 हेक्टेयर में से हिस्सा 74/477 अर्थात रकबा 1.4799 हिस्सा जो पूर्व में मेरे पिता के नाम से दर्ज थी वर्तमान में अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 10 के नाम दर्ज हो गई उक्त खाते में पूर्व में दिनांक 13.03.2019 को काश्तकार क्रमशः गौरा देवी पत्नी नागरमल, नंद सिंह पुत्र हरी सिंह, नागर पुत्र डालू, भगवाना पुत्र डालू, विमला पत्नी देवकरण, संपत सिंह पुत्र हरि सिंह, सीत सिंह पुत्र हरि सिंह, हरि सिंह शेखावत पुत्र देवीसिंह थे। हरि सिंह पुत्र बेगसिंह की मृत्यु दिनांक 3.12.2006 को हो गई जिस बाबत संपत सिंह पुत्र हरी सिंह ने एक शपथ पत्र प्रस्तुत किया उक्त शपथ पत्र में सह–खातेदार नंद सिंह पुत्र हरी सिंह की मृत्यु दिनांक 23.10.2000 तथा सीत सिंह पुत्र हरी सिंह की मृत्यु दिनांक 14.09.2002 को होने का कथन कर उक्त सीतसिंह व नंदसिंह के वारिसान के साथ हरिसिंह के वारिसान का अंकन किया गया उक्त जमाबंदी में हरि सिंह पुत्र देवी सिंह का नाम क्रम संख्या 09 पर दर्ज होने से उक्त हरि सिंह के नाम से सहवन से तथा समान नाम व समान जाति होने से नामांतरण खुल गया व राजस्व रिकॉर्ड में हरि सिंह पुत्र देवी सिंह के स्थान पर रुकमणी देवी, संपत सिंह पुत्र हरी सिंह शेखावत, पाना कंवर, कृष्णा देवी, मुकेश, दलीप सिंह, कुलदीप सिंह, संतोष देवी, विक्रम सिंह, अनीता के नाम दर्ज हो गए। उक्त त्रुटि समान नाम व समान जाति होने से हरि सिंह पुत्र देवीसिंह के स्थान पर दर्ज हो गए। जबकि उक्त नामांतरकरण नंद सिंह पुत्र हरी सिंह व सीत सिंह पुत्र हरी सिंह नाम से दर्ज किया जाना था

खेत खसरा नंबर 20 रकबा 9.54 हेक्टेयर में अप्रार्थी संख्या एक के नाम पूर्व से हिस्सा 5483/47700 अर्थात 1.0965 हेक्टेयर का खातेदार पूर्व से चला रहा है उक्त हिस्से से प्रार्थी को कोई रिलीफ नहीं चाहा गया है। अप्रार्थी संख्या 11 लगायत 15 को इस दावे में फॉर्मल पक्षकार के रूप में संयोजित किया गया है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी की पैतृक कृषि भूमियां कस्बा रामगढ़ पटवार हल्का रामगढ़ में अवस्थित खसरा नंबर 20 रकबा 9.54 हेक्टेयर जिसमें प्रार्थी के पिता का नाम से हिस्सा 74/477 रकबा 1.4799 हैक्टेयर जो पूर्व में प्रार्थी के पिता के नाम दर्ज थी, वर्तमान में उक्त खसरा नम्बर की भूमि में से प्रार्थी के पिता के हिस्से की भूमि सम्पतसिंह पुत्र हरिसिंह शेखावत हिस्सा 74/2385, पाना कंवर पुत्री हरिसिंह शेखावत हिस्सा 74/2385, रूकमणी कंवर पत्नि हरिसिंह शेखावत हिस्सा 74/2385, अनिता पुत्री नन्दुसिंह हिस्सा 74/7155, विक्मसिह पुत्र नन्दुसिंह हिस्सा 74/7155, संतोष कंवर पत्नि नन्दुसिंह हिस्सा 74/7155, कुलदीपसिंह पुत्र सीताराम हिस्सा 37/4770, कृष्णा देवी पत्नि सीताराम हिस्सा 37/4770, दलिपसिंह पुत्र सीताराम हिस्सा 37/4770, मुकेश पुत्र सीताराम हिस्सा 37/4770 के नाम सहवन से दर्ज हो गयी है अर्थात् अप्रार्थी संख्या 01 ता 10 के नाम दर्ज हो गई। अतः अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 10 के स्थान पर मुझ प्रार्थी के पिता हरिसिंह शेखावत पुत्र देवीसिंह के नाम उक्त भूमि कृषि भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

(मूलचन्द लूणिया)
उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ शेखावाटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Moolchand Luniya
Date: 2020.12.28 17:17:54 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 10 ता 15 बावजूद तामिल हाजिर अदालत नही आने पर उक्त के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। अप्रार्थी संख्या 01, 05, 07, 09 के बयान दर्ज किये गये। उक्त अप्रार्थीगण ने कथन किया कि राजस्व रिकॉर्ड में त्रुटिपूर्वक आये नाम रूकमणी कंवर, पाना कंवर, सम्पतसिंह पुत्र हरिसिंह शेखावत, अनिता पुत्री नन्दुसिंह, विक्रम सिंह पुत्र नन्दुसिंह, संतोष कंवर पत्नि नन्दुसिंह, कृष्णा देवी पत्नि सीताराम, कुलदीपसिंह, दलिप सिंह, मुकेश पुत्रगण सीताराम जो कि हरिसिंह शेखावत पुत्र देवीसिंह के वारिस नही है, के नाम हटाकर हरिसिंह शेखावत पुत्र देवीसिंह का नाम पूर्व की जमाबंदी अनुसार कर दिया जाता है तो हमे कोई उजर आपति नही है तथा प्रार्थी रणजीत सिंह पुत्र हरिसिंह द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत हस्तगत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तो हमें कोई आपति नही है। प्रार्थी तथा अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 09 ने राजीनामा प्रस्तुत कर भी कथन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तो हम पक्षकारान को आपति नही है।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में दस्तावेजात स्वयं का आधार कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र, नामान्तरकरण संख्या 357 दिनांक 07.08.2019, सम्पतसिंह पुत्र हरिसिंह जाति राजपूत निवासी वार्ड नम्बर 25 रामगढ़ शेखावाटी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र बाबत विरासत नामान्तरकरण तथा संलग्न दस्तावेज यथा शपथ पत्र, वारिस प्रमाण पत्र व मृत्यु प्रमाण पत्र, वर्तमान जमाबंदी सम्वत 2074–77 खसरा नम्बर 20, जमाबन्दी सम्वत 2074–77 खसरा नम्बर 20 (नामान्तरकरण दर्ज होने से पूर्व की जमाबंदी) आदि दस्तावेजात प्रस्तुत किये।

पक्षकारान की बहस सुनी गई। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि कस्बा रामगढ़ पटवार हल्का रामगढ़ में अवस्थित खसरा नंबर 20 रकबा 9.54 हेक्टेयर जिसमें प्रार्थी के पिता का नाम से हिस्सा 74/477 रकबा 1.4799 हैक्टेयर जो पूर्व में प्रार्थी के पिता के नाम दर्ज थी, वर्तमान में उक्त खसरा नम्बर की भूमि में से प्रार्थी के पिता के हिस्से की भूमि सम्पतसिंह पुत्र हरिसिंह शेखावत हिस्सा 74/2385, पाना कंवर पुत्री हरिसिंह शेखावत हिस्सा 74/2385, रूकमणी कंवर पत्नि हरिसिंह शेखावत हिस्सा 74/2385, अनिता पुत्री नन्दुसिंह हिस्सा 74/7155, विक्रमसिह पुत्र नन्दुसिंह हिस्सा 74/7155, संतोष कंवर पत्नि नन्दुसिंह हिस्सा 74/7155, कुलदीपसिंह पुत्र सीताराम हिस्सा 37/4770, कृष्णा देवी पत्नि सीताराम हिस्सा 37/4770, दलिपसिंह पुत्र सीताराम हिस्सा 37/4770, मुकेश पुत्र सीताराम हिस्सा 37/4770 के नाम सहवन से दर्ज हो गयी है अर्थात् अप्रार्थी संख्या 01 ता 10 के नाम दर्ज हो गई। अतः अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 10 के स्थान पर मुझ प्रार्थी के पिता हरिसिंह शेखावत पुत्र देवीसिंह के नाम उक्त भूमि कृषि भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। अप्रार्थीगण नें निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तो हम पक्षकारान कोई उजर आपति नही है अर्थात् हम सहमत है।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत दस्तावेजात, अप्रार्थीगण के शपथ पत्र एवं राजीनामें के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अ. धारा 136 एल.आर.एक्ट स्वीकार योग्य है।

–:आदेश:–

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अ. धारा 136 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाकर कस्बा रामगढ़ में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 20 रकबा 9.54 हैक्टेयर में हरिसिंह शेखावत पुत्र देवी सिंह हिस्सा 74/477 हैक्टेयर जो पूर्व में भी हरिसिंह शेखावत पुत्र देवीसिंह के नाम दर्ज थी, वर्तमान में उक्त खसरा नम्बर की भूमि में सें सम्पतसिंह पुत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Moolchand Luniya
Date: 2020.12.28 17:17:54 IST
Reason: SelfAttested
Scanned with CamScanner

हरिसिंह शेखावत हिस्सा 74/2385, पाना कंवर पुत्री हरिसिंह शेखावत हिस्सा 74/2385, रूकमणी कंवर पत्नि हरिसिंह शेखावत हिस्सा 74/2385, अनिता पुत्री नन्दुसिंह हिस्सा 74/7155, विक्रमसिह पुत्र नन्दुसिंह हिस्सा 74/7155, संतोष कंवर पत्नि नन्दुसिंह हिस्सा 74/7155, कुलदीपसिंह पुत्र सीताराम हिस्सा 37/4770, कृष्णा देवी पत्नि सीताराम हिस्सा 37/4770, दलिपसिंह पुत्र सीताराम हिस्सा 37/4770, मुकेश पुत्र सीताराम हिस्सा 37/4770 के नाम जरिये संशोधन हटाकर पूर्व की भांति उक्त खसरा नम्बर में हरिसिंह शेखावत पुत्र देवीसिंह जाति राजपूत निवासी रामगढ़ हिस्सा 74/477 किया जाता है। तहसीलदार रामगढ़ शेखावाटी उपरोक्तानुसार अमल दरामद करे। निर्णय आज दिनांक 03.09.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मूलचन्द लूनिया)
उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ शेखावाटी (सीकर)

(मूलचन्द लूनिया)
उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ शेखावाटी (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Moolchand Luniya
Date: 2020.12.28 17:17:54 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner